

मांग संख्या 01  
मुख्य शीर्ष 2012

**मद क्रमांक 1**

मध्यप्रदेश राजभवन के अंतर्गत वाहन प्रतिस्थापन हेतु राशि रुपये 5.47 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,47,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 3**

मध्यप्रदेश राजभवन के अंतर्गत कार्यालय उपकरण एवं व्यवसायिक सेवा हेतु वर्ष के दौरान अदायगियां हेतु राशि रुपये 3.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

**मद क्रमांक 4**

राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत वेतन आदि पर आयकर का भुगतान हेतु राशि रुपये 0.80 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 - 12**

स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिये वर्ष के दौरान राशि रुपये 35.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

**मद क्रमांक 13**

लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कार्यालय उपकरणों हेतु राशि रुपये 30.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 14 - 15**

मंत्रालय के अंतर्गत वर्दियों, व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी (परीक्षा) हेतु राशि रुपये 4.50 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली के अंतर्गत दूरभाष व्यय हेतु राशि रुपये 1.80 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17 - 19**

विशेष आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत दूरभाष व्यय, बिजली एवं जल प्रदाय एवं स्थायी संपत्तियों का अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 15.95 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

**मद क्रमांक 20 - 22**

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ अंतर्गत मजदूरी, लेखन सामग्री एवं फार्म, स्थायी संपत्तियों का अनुरक्षण के लिये रुपये 4.60 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

### मद क्रमांक 23-24

महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल के अंतर्गत सेमीनार, कार्यशाला एवं व्यवसायिक सेवाओं की अदायगियों हेतु राशि रुपये 122.61 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,22,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 25

महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के लिये कार्यालय उपकरणों का क्रय हेतु राशि रुपये 68.44 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 68,44,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 26 - 27

लोकायुक्त कार्यालय हेतु कार्यशाला/सेमीनार/सम्मेलन, एवं परिवहन व्यवस्था के लिये रुपये 10.50 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 28

लोकायुक्त कार्यालय के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है। राशि उपलब्ध स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

### मद क्रमांक 29

आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली के अंतर्गत नई दिल्ली में प्रस्तावित कार्यालयों की स्थापना हेतु अधोसंरचना विकास एवं पूर्व में प्रदाय आकस्मिकता निधि से अग्रिम रुपये 6.80 करोड़ के समायोजन सहित राशि रुपये 3049.80 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,49,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 30

नई दिल्ली स्थित मध्यांचल भवन के अंतर्गत उप वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1.66 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,66,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 31

मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली का पुनर्निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राशि रुपये 1.50 करोड़ के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 32

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ अंतर्गत प्रशासनिक भवन निर्माण के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य के लिये रुपये 26.60 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 33 - 34

महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल के अंतर्गत अकादमी परिसर में प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु भौतिक सुविधाओं के निर्माण में राशि रुपये 805.20 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,05,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 35

मध्यलोक अतिथि गृह, नवी मुम्बई के निर्माण हेतु राशि रुपये 12.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02  
मुख्य शीर्ष 2070

### मद क्रमांक 1 - 3

सत्कार कार्यालय के लिये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मजदूरी, एवं आतिथ्य व्यय मद में के लिये रुपये 101.60 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,01,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4 - 8

राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत डाक तार व्यय, लेखन सामग्री, उपकरण एवं परामर्श सेवाओं हेतु राशि रुपये 20.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03  
मुख्य शीर्ष 2055

### मद क्रमांक 1

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत मकान किराया भत्ता भुगतान हेतु बजट में व्यय शीर्ष उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त व्यय शीर्ष खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजना हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 5

म.प्र. पुलिस के अंतर्गत अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालायें के अंतर्गत परिवहन व्यवस्था, अन्य, विज्ञापन प्रचार, मेला उत्सव प्रदर्शनी मद स्थापित न होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हेतु नवीन मद स्थापित कर प्रतीक अनुदान का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

जिला पुलिस की अपराध अनुसंधान योजना अंतर्गत उपकरण क्रय हेतु राशि रुपये 40.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7 - 10

अभियोजन संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण, सफाई व्यवस्था, कार्यालय उपकरणों का क्रय एवं वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 44.21 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,21,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11 - 12

म.प्र. गौवंश वध प्रतिशोध अधिनियम-2004 एवं नियम -2012 के अंतर्गत पशुओं की परिवहन व्यवस्था एवं पशुओं के लिये चारा मदों में रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

प्रदेश में लावारिस लाशों या ऐसे व्यक्ति जिनकी आसामयिक मृत्यु हो जाती है उनके शवों को सम्मान जनक स्थिति में अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिये योजना प्रारंभ की जा रही है। इस हेतु राशि रुपये 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14 - 17

जिला पुलिस, जिला स्थापना के अंतर्गत सेमीनार सम्मेलन, लघु निर्माण मदों में रुपये 405.002 लाख का व्यय होना संभावित है। इसके साथ ही यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर एवं मोटर वारन्ट्स के मूल्य के व्यय शीर्ष खोले जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,05,00,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 18

जिला पुलिस की सामान्य व्यय जिला स्थापना के अंतर्गत डिक्रीधन के भुगतान हेतु रुपये 75.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 75,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 19

पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये विभिन्न सामग्री क्रय उपरांत प्राप्त देयकों के भुगतान हेतु उपकरण मद में रुपये 305.83 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,05,83,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 20

पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना सामान्य में अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था के अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 21

फोरेसिक प्रयोगशाला सागर में डी.एन.ए. कार्य के लिये उन्नत एवं आधुनिकी तकनीक को तथा नवीन उपकरणों से सुसज्जित करने की आवश्यकता के कारण उपकरण मद में राशि रुपये 90.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 22

म.प्र. उच्च न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु उपकरण मद में राशि रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 23

जिला विकेन्द्रीकरण योजना के अंतर्गत पुलिस फायरिंग रेंज के विकास हेतु लघु निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 4.99 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,99,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 24

जिला विकेन्द्रीकरण योजना के अंतर्गत पुलिस थानों में बाउण्ड्रीबाल के निर्माण हेतु राशि रुपये 4.96 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 25

म.प्र. विधानसभा भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के लिये सी.सी.टी.व्ही/सर्विलेंस सिस्टम की स्थापना की जा रही है, इस हेतु राशि रुपये 1.10

करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 26

विभाग अंतर्गत प्रदेश के पुलिस परेड ग्राउन्ड हेतु बाउण्ड्रीवाल के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। राशि उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजन कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 27

जिलों में आयोजित मेला में उचित सूरक्षा व्यवस्था करने के लिये पुलिस बल हेतु उपकरणों का क्रय किये जाने की योजना है। राशि उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजन कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 28

प्रदेश के जिलों में वर्षा ऋतु के दौरान तटीय स्थलों पर होने वाली दुर्घटना, एन्टी डकैती अभियान व अन्य दुर्घटनाओं से बचाव हेतु सामग्री की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये विशेष नदी गश्ती दल योजना प्रारंभ की गई है। इस हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

### मद क्रमांक 29 - 30

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासन आदेशानुसार होमगार्ड सैनिकों को एरियर राशि के भुगतान हेतु योजना भत्ता एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद में राशि रुपये 3711.065 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,11,06,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 31

राज्य आपदा आपातकालीन मोचनबल के गठन के तहत प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं एवं आपातकालीन परिस्थितियों में आमजन की रक्षा एवं बचाव कार्य हेतु आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम राशि रुपये 11.81 करोड़ के समायोजन सहित राशि रुपये 21.81 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,81,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 1 - 4

म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 31-3-2015 से लागू की गई है। योजना के अंतर्गत अपराध पीड़ितों को या उनके आश्रितों को जिन्हे अपराध के परिणामस्वरूप हानियों की क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान प्रतिकर प्रदाय हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

पूर्व दृष्टि प्रयोजनों के लिये सहायक अनुदान हेतु पूर्व में दिये गये आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि रुपये 1.00 करोड़ को समायोजित करते हुये राशि रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05  
मुख्य शीर्ष 2056

**मद क्रमांक 1 - 2**

महानिदेशक जेल के अंतर्गत मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्तों हेतु राशि रुपये 2.30 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

महानिदेशक, जेल के अंतर्गत जेलों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी हेतु स्थापित सी.सी.टी.वी हेतु राशि रुपये 1.60 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

महानिदेशक, जेल के अंतर्गत जेलों में सेलफोन के अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिये राशि रुपये 2.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

महानिदेशक, जेल के अंतर्गत बंदियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिये राशि रुपये 15.20 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06  
मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 1**

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के माध्यम से वाहन किराये पर लिये जाने के फलस्वरूप राशि रुपये 2.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 3**

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत मकान किराया भत्ता एवं परामर्श सेवायें हेतु राशि रुपये 8.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2054

**मद क्रमांक 4**

संचालनालय कोष एवं लेखा के अंतर्गत अधिकारियों के प्रशिक्षण मद में परीक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु राशि रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

संचालनालय कोष एवं लेखा के अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 2.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

संचालनालय कोष एवं लेखा के संभागीय स्थापना अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 3.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

संचालनालय कोष एवं लेखा के अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 55.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	07
मुख्य शीर्ष	2030

### मद क्रमांक 1

व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां हेतु राशि रुपये 30.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

विभाग में प्रचलित कम्प्यूटराईजेशन परियोजना हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	10
मुख्य शीर्ष	2406

### मद क्रमांक 1

कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना मद में राशि रुपये 2662.97 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,62,97,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों हेतु अधोसंरचना का रख-रखाव मद में राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

वन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास एवं उपयोग के अंतर्गत अन्य प्रभार मद खोला जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

सेटेलार्इट इमेजरी मद में राशि रुपये 362.09 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,62,09,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय मद में राशि रुपये 3181.33 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,81,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

ग्रामों का पुर्नवास हेतु मुआवजा मद में राशि रुपये 40.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

**मद क्रमांक 7**

सोलर सिस्टम का रख-रखाव मद में राशि रुपये 60.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4406

**मद क्रमांक 8**

वन अधोसंरचना का सुदृढीकरण योजना में कार्यालय फर्नीचर का मद खोला जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजित कर की जोवगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11

मुख्य शीर्ष 2851

**मद क्रमांक 1**

पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत राशि रुपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

जिला उद्योग केन्द्र योजना अंतर्गत अभिभाषकों की फीस हेतु राशि रुपये 2,75,93,500 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,75,93,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

जिला उद्योग केन्द्र योजना अंतर्गत फर्नीचर का क्रय हेतु राशि रुपये 15.25 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

**मद क्रमांक 4-5**

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही हेतु सहायता योजना अंतर्गत सहायक अनुदान एवं डिक्रीधन के भुगतान हेतु राशि रुपये 242.51 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,16,75,300 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 25,76,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

उद्योग निवेश संवर्धन हेतु स्टाम्प ड्यूटी सहायता हेतु राशि रुपये 35.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अंतर्गत राज सहायता हेतु राशि रुपये 80.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं हेतु राशि रुपये 1.38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



**मद क्रमांक 9**

टेक्सटाईल उद्योगों के लिये विशेष ब्याज अनुदान 2012 अंतर्गत राज सहायता हेतु राशि रुपये 40.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

**मद क्रमांक 10 - 12**

अन्य व्यवसायिक उपक्रमों का विनियमन भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन योजना अंतर्गत कार्यालय फर्नीचर का क्रय, अन्य आकस्मिक व्यय एवं कार्यालय उपकरणों का क्रय हेतु कुल राशि रुपये 18.85 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4851

**मद क्रमांक 13**

जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र भवनों का निर्माण योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4875

**मद क्रमांक 14**

कल्स्टरो की स्थापना अंतर्गत धनवेष्ठ/निवेश हेतु राशि रुपये 259.73 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,59,73,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12

मुख्य शीर्ष 2801

**मद क्रमांक 1**

जन निजी भागीदारी पी.पी.पी. के माध्यम से 400 के.व्ही. सतपुड़ा आष्टा डी.सी.डी.एस. पारेषण लाईन के निर्माण हेतु म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर को रुपये 4.21 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में कल्पतरू पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी गांधीनगर को भुगतान किये जाने हेतु उपलब्ध करायी जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु राशि रुपये 200.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

टैरिफ सब्सिडी मद में म.प्र. पॉवर कंपनी लिमिटेड/विद्युत वितरण कंपनियों के लिये राशि रुपये 200.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

**मद क्रमांक 4**

म.प्र.पॉवर जेनेरेटिंग कंपनी के अंतर्गत सतपुड़ा व सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा गोदबहरा-उझैनी जिला सिंगरौली में आर्वाटित कोल ब्लॉक को अधिग्रहित करने हेतु सी.एम.पी.डी.आई. रांची तथा कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कोल माइन डेवलपमेंट व प्रोडक्शन अनुबंध किया जाना है, इस हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के लिये अंशपूजी के रूप में राशि विद्युत कंपनियों को प्रदाय की जाना है, इस हेतु राशि रुपये 9.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

**मद क्रमांक 6**

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु ऋण के रूप में राशि विद्युत कंपनियों को प्रदाय की जाना है। इस हेतु राशि रुपये 21.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

ए.डी.बी. सहायित ई.आर.पी. परियोजना हेतु राशि रुपये 3.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

ए.डी.बी. सहायित फीडर विभक्तिकरण योजना में राशि रुपये 44.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

उप पारषेण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण के रूप में 124.69 करोड़ के शेष समायोजन हेतु प्रावधान की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,24,69,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 1 - 8**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के अंतर्गत अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द योजना हेतु अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के वेतन मद में राशि रुपये 8.46 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9 - 11**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के अंतर्गत सब मिशन स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना अंतर्गत राशि रुपये 1500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12 - 14**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना परम्परागत खेती विकास हेतु राशि रुपये 300 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15 - 24**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना अंतर्गत रुपये 15.70 करोड़ एवं

रुपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,70,00,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14  
मुख्य शीर्ष 2403

### मद क्रमांक 1

पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालनालय स्तर पर डिक्रीधन के भुगतान हेतु राशि रुपये 6.58 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,58,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की नवीन योजना हेतु राशि रुपये 2500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय योजना अंतर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय रीवा के अधोसंरचना विकास हेतु राशि रुपये 685.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,85,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

पशुपालन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15  
मुख्य शीर्ष 2202

### मद क्रमांक 1

पंचायतो के अधीनस्थ अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विद्यालयों में पदस्थ संविदा / अध्यापक संवर्ग के वेतन भत्तो आदि पर रुपये 1918.78 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 1918.78 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,18,78,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

### मद क्रमांक 2

मुख्यमंत्री आवास मिशन हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 2240.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,40,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 16  
मुख्य शीर्ष 2405

### मद क्रमांक 1

संचालक, मत्स्य उद्योग संचालनालय भोपाल के अंतर्गत मत्स्योद्योग के लिये जिला स्तर पर अमला योजना में डिक्रीधन के भुगतान हेतु राशि रुपये 3.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

संचालक, मत्स्योद्योग भोपाल के अंतर्गत नेशनल मिशन फार सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	17
मुख्य शीर्ष	2425

**मद क्रमांक 1**

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत निर्देशन प्रशासन परीक्षा मद में राशि रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज अनुदान हेतु राशि रुपये 60000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	18
मुख्य शीर्ष	2230

**मद क्रमांक 1**

श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त कार्यालय हेतु सेमीनार, कार्यशाला, सम्मेलन हेतु राशि रुपये 60.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

श्रम विभाग अंतर्गत पंजीयक औद्योगिक न्यायालय हेतु फर्नीचर मद में राशि रुपये 90,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	19
मुख्य शीर्ष	2210

**मद क्रमांक 1**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा मलेरिया फिल्ड वर्कर्स के पारिश्रमिक हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों में बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत डबल फोर्टिफाइड साल्ट के उपाजन हेतु प्रतिवर्ष राशि रुपये 20.40 करोड़ का व्यय अनुमानित है। विभाग इस व्यय की पूर्ति अन्य मदों में संभावित बचत से करेगा। इस हेतु नवीन योजना खोली जाकर रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	21
मुख्य शीर्ष	2053

**मद क्रमांक 1**

लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत लोक सेवा अभिकरण की स्थापना सर्वे कार्य एवं भुगतान हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की

संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कॉल सेन्टर की स्थापना के देयकों का भुगतान हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	22
मुख्य शीर्ष	2059

## मद क्रमांक 1

शौर्य स्मारक में वॉर गैलरी अंतर्गत मिनी ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण हेतु राशि रुपये 89.46 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 89,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2215
-------------	------

## मद क्रमांक 2

सिंध सागर तालाब (ईसागढ़, अशोकनगर) (नवीन मद के रूप में शामिल करते हुये) हेतु राशि रुपये 320.23 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,20,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2216
-------------	------

## मद क्रमांक 3

विधान सभा, भवन एवं विधायक विश्राम गृह परिसर में विभिन्न उन्नयन कार्य हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2217
-------------	------

## मद क्रमांक 4

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को सी.बी.डी. योजना अंतर्गत पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान हेतु राशि रुपये 1357.065 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,57,06,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 5

सिंहस्थ-2016 के पूर्व विमर्श संगोष्ठियों का आयोजन हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 6

शहीदों के परिवारों को भू-खण्ड प्रदाय करने हेतु म.प्र. गृह निर्माण मंडल के लिये प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 7

अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन योजना अंतर्गत अनुदान हेतु नवीन मद खोलते हुये रुपये 100/-का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की प्रतिपूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत राशि रुपये 392.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,92,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत राशि रुपये 200.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23  
मुख्य शीर्ष 4700

**मद क्रमांक 1**

बाणसागर यूनिट-एक के निर्माण अंतर्गत रुपये 9,99,99,800 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,99,99,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

बाण सागर परियोजना यूनिट-दो के निर्माण अंतर्गत रुपये 150.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

पेच प्रत्यावर्तन परियोजना के निर्माण हेतु रुपये 70.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

बानसुजारा परियोजना निर्माण अंतर्गत रुपये 150.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

**मद क्रमांक 5**

गुलाब सागर (महान) परियोजना द्वितीय चरण का क्रियान्वयन किया जाना है। इस हेतु 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। जिसकी प्रतिपूर्ति पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

गोपालपुरा मध्यम परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस हेतु 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। जिसकी प्रतिपूर्ति पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24  
मुख्य शीर्ष 3054

**मद क्रमांक 1**

प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु रुपये 25.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

प्रदेश के राजकीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु रुपये 200.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

कार्य नियमावली (मैन्यूअल) 1983 में संशोधन का कार्य कन्सलटेंट नियुक्त कर सम्पन्न कराया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

भारतीय सड़क कांग्रेस के आयोजन के लिये राशि रुपये 5.00 करोड़ का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति पुर्नविनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

**मद क्रमांक 5**

वृहद पुलों के नवीन कार्यों हेतु राशि रुपये 9593.67 लाख तथा निर्माणाधीन कार्यों हेतु राशि रुपये 1500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। नवीन कार्यों की सूची निम्नांकित है:-

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	लागत (रु. लाख में)	अनुदान राशि (राशि रुपयों में)
1.	इंदौर	इंदौर जिले में बड़ोदिया खान गांव में शाहदा गांव रोड़ पर शाहदा गांव के पास खान नदी पर पुल निर्माण	374.58	100
2.	छतरपुर	छतरपुर जिले में अजयगढ़ चंदला मार्ग में ग्राम हथौड़ा के पास लोहरुख नाला पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण	467.07	100
3.	इंदौर	इंदौर जिले में कलमेर वेटमा रोड़ पर ग्राम बड़ी कलमेर के समीप गंधीर नदी पर पुल का निर्माण	688.83	100
4.	रीवा	रीवा जिले में शहर शहर में करहिया बोदाबाग मार्ग पर बीहर नदी पर जलमगनीय पुल का निर्माण	1508.86	100
5.	खण्डवा	खण्डवा जिले में डुल्हार पंधाना व्हाया रोशनहार मार्ग के कि.मी. 1/6 एवं कि.मी. 4/10 में घोड़वा नदी पर पुल का निर्माण	366.37	100
6.	शाजापुर	शाजापुर जिले में अजनाल एवं पार्वती नदी के संगम स्थल देहरीघाट पर ग्राम बमूलिया मुछाली के समीप पार्वती नदी पर जलमगनीय पुल का निर्माण	927.45	100
7.	कटनी	कटनी जिले के झिंझरी बिलहरा देवगांव मार्ग के कि.मी. 10/8 में ग्राम गुलवारा एवं गनियारी के मध्य निवार नदी पर जलमगनीय पुल का निर्माण	359.61	100
8.	सतना	सतना मैहर मार्ग के कि.मी. 6/10 में सतना नदी पर जलमगनीय पुल का निर्माण	690.29	100
9.	सागर	सागर जिले के बण्डा बरा केरबना मार्ग के कि.मी. 4/6-8 में ग्राम चौका के पास बेबस नदी पर जलमगनीय पुल का निर्माण	886.03	100
10.	भोपाल	भोपाल जिले में नीलबड़ मुगालियाछाप ईटखेड़ी खजूरी सड़क मार्ग के कि.मी. 12/8 में सिरसी नाले पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	239.50	100
11.	जबलपुर	जबलपुर एवं दमोह जिले की सीमा पर कटंगी मझौली सिहोरा मार्ग के कि.मी. 30/6-8 में ग्राम कुसमी के पास फलको नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	284.16	100

12. होशंगाबाद	होशंगाबाद जिले में बावई नसीराबाद मार्ग में बागलखेड़ी मार्ग में बागलखेड़ी मार्ग के कि.मी. 1/4 पर पुल का निर्माण	144.52	100
13. टीकमगढ़	टीकमगढ़ जिले में मेंदवारा पचोरा मार्ग पर सपरार नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण	654.95	100
14. विदिशा	विदिशा जिले में सौथर से अंडिया मार्ग में नेवन नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण	150.80	100
15. विदिशा	विदिशा जिले में ग्राम घाटखेड़ी के समीप घाटखेड़ी से सतपाड़ा मार्ग में नेवन नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण	151.00	100
16. भिण्ड	भिण्ड जिले में ऊमरी फूफ मार्ग के कि.मी. 12 में क्वारी नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के मजबूतीकरण एवं विशेष मरम्मत कार्य	241.46	100
17. सतना	उचेहरा परसमनिया मार्ग के कि.मी. 12/10 में सतधार नदी में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	351.71	100
18. जबलपुर	जबलपुर जिले के कटंगी विकासखण्ड अंतर्गत सिहोरा मझौली गुबरा मार्ग के कि.मी. 28/4-6 में कैर नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	362.23	100
19. देवास	देवास जिले के बागली भौरासा मार्ग के कि.मी. 41/10 पर लोधरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	744.25	100

अतः निर्माणाधीन कार्यों हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान तथा नवीन कार्यों हेतु रुपये 1900 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

फलाय ओव्हर ब्रिज/रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माणाधीन 6 निर्माण कार्यों हेतु रुपये 21225.41 लाख में किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी पूर्ति पुर्नविनियोजन से की जावेगी है।

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	मार्ग की लागत (रु. लाख में)	आवश्यक अनुदान राशि (राशि रुपयों में)
1.	सतना	सतना जिले के नौगांव, सतना-रीवा मार्ग के कि.मी. 163/10 में सतना शहर में सेमरिया चौक पर फलाई ओव्हर ब्रिज का निर्माण	4283.34	100
2.	नरसिंहपुर	जिला नरसिंहपुर अंतर्गत गोटेगांव में गोटेगांव बायपास मार्ग में रेल्वे क्रासिंग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	1392.67	100
3.	कटनी	कटनी शहर में मिशन चौक स्थित सागर पुलिया (अण्डर ब्रिज) के स्थान पर आर.ओ.बी. कम फलाई ओव्हर का निर्माण	4992.38	100
4.	मंदसौर	मंदसौर सीतामऊ मार्ग पर एल.सी. न. 152 (रतलाम चदेरिया रेलखण्ड कि.मी. 292/8-9) के बदले सीतामऊ फाटक मंदसौर पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	5038.24	100
5.	भोपाल	भोपाल शहर में ज्योति टॉकिज के समीप रेल्वे ओव्हर ब्रिज का चौड़ीकरण	2111.31	100
6.	बुरहानपुर	बुरहानपुर जिले में नेपानगर रेल्वे क्रासिंग क्र. 176 ए पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	3407.47	100
योग			21225.41	600

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



**मद क्रमांक 7**

मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

निम्नानुसार कुल 97 नवीन सड़कों कार्यों का निर्माण प्रस्तावित है। जिसकी अनुमानित लागत रुपये 107585.11 लाख है। जिसकी पूर्ति पुर्नविनियोजन से की जायेगी। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन कार्यों हेतु रुपये 150.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	मार्ग की लंबाई (कि.मी.)	लागत (रु. लाख में)	आवश्यक अनुदान राशि (राशि रुपयों में)
------	------	--------------	----------------------------	-----------------------	---

1.	विदिशा	ग्राम कांकरखेड़ी से बरखेड़ा एवं ग्राम करैया से बनियाखेड़ी एवं टीला से अहमदपुर हाई स्कूल तक मार्ग	8.26	581.14	100
2.	विदिशा	मदनखेड़ी धुड़ियाखेड़ी भौरिया मार्ग से पठारी हवेली व्हाया परसौरा हवेली मार्ग	9.10	647.38	100
3.	विदिशा	ग्राम झिरनिया से सुल्तानपुर एवं रोड़ा से बनियाखेड़ी मार्ग	7.30	508.86	100
4.	विदिशा	ग्राम सुकरा से देहली तिलक एवं रमगढ़ा से ठर्र मार्ग	15.00	967.05	100
5.	विदिशा	ग्राम झिरनिया से बरखेड़ा गंभीर, नौलास से सीहोद मार्ग	8.00	561.93	100
6.	विदिशा	ग्राम हिरनोदा से पैरवारा मार्ग	2.50	173.63	100
7.	विदिशा	टीलाखेड़ी से गेहूंखेड़ी मार्ग	1.80	129.73	100
8.	विदिशा	मढ़वई से करैया हवेली तक मार्ग	2.00	143.47	100
9.	भोपाल	बायपास भौरी से नीलबड़ सड़क निर्माण	5.33	991.35	100
10.	डिण्डोरी	सारसडोली से पड़रिया मार्ग	3.00	120.04	100
11.	दतिया	उनाव बसवाहा मार्ग	2.60	117.43	100
12.	दतिया	ररूआराय से ऊंचिया मार्ग	6.10	128.59	100
13.	विदिशा	रामद्वारा से कांती चौक रैस्ट हाउस मार्ग	1.00	143.43	100
14.	विदिशा	फोरलेन फार सेन्ट्रल स्कूल एण्ड प्रपोज्ड हॉस्पिटल	0.30	432.55	100
15.	राजगढ़	चौड़ीकरण वं मजबूतीकरण ब्यावरा बस स्टैण्ड सुठालिया बायपास रोड एवं स्टेशन रोड का निर्माण कार्य	1.57	332.06	100
16.	हरदा	हरदा मगरधा रोड का निर्माण कार्य	7.90	539.13	100
17.	ग्वालियर	मजबूतीकरण गांधी रोड न्ये कलेस्ट्रेट तक मार्ग	3.00	995.71	100
18.	छिंदवाड़ा	हरनाखेड़ी (शहपुरा) से खमरा मार्ग	1.76	101.94	100
19.	छिंदवाड़ा	उमरिया से बौहनाढाना मार्ग	1.70	114.49	100
20.	छिंदवाड़ा	बोरिया से सरसवाड़ा मार्ग	2.12	134.85	100
21.	बैतूल	कुम्हारिया जोड़ से माथनी मार्ग	2.20	144.47	100
22.	देवास	पिपलिया नानकार से मोतीनगर मार्ग	2.00	157.41	100
23.	छिंदवाड़ा	नेर से देघर्दा मार्ग	3.40	182.86	100
24.	इंदौर	पोटलोद से खेड़ी मार्ग	2.10	189.54	100
25.	रतलाम	मोरिया से हिम्मतखेड़ी मार्ग	3.00	194.55	100
26.	छिंदवाड़ा	खजरी से जामुनझिरी मार्ग	2.90	196.45	100
27.	सीहोर	चौरसाखेड़ी से बंडावाला घर तक मार्ग	1.50	199.09	100

28.	छिंदवाड़ा	खुटिया से बाकानागपुर मार्ग	3.00	204.06	100
29.	जबलपुर	करहिया से कूड़ा टेम्पाल मार्ग	2.55	208.76	100
30.	रीवा	अतरिया से भिटवा मार्ग	2.70	228.35	100
31.	कटनी	तिलक कालेज पहुंच मार्ग	1.10	240.69	100
32.	भोपाल	रायसेन मार्ग सागोनी कला डोबराजगीर होते हुये चोर सगोनी मार्ग	1.90	252.67	100
33.	नरसिंहपुर	बोहानी से रहली मार्ग	3.20	270.41	100
34.	नीमच	झान्तला से गोविंदपुरा व्हाया सलौदा मार्ग	3.60	281.88	100
35.	जबलपुर	अमगवां दरोली केवलारी मढ़ा मार्ग	3.25	302.36	100
36.	नरसिंहपुर	सूखा से झिरिया मातामंदिर मार्ग	3.10	309.12	100
37.	छिंदवाड़ा	सुरंगी से मढ़कीताल मार्ग	5.00	310.64	100
38.	सीहोर	सियाकेड़ से मोलूखेड़ी मार्ग	3.40	343.66	100
39.	पन्ना	दामदाही से अधिराड़ी मार्ग	6.60	363.73	100
40.	सागर	मोकलपुर चौराहा से मड़खेड़ा जागीर मार्ग	5.40	357.37	100
41.	आगर	अन्तरालिया जोड़ से कजलास मार्ग	5.20	388.32	100
42.	सतना	डेल्हा करइया करौंदी मार्ग	4.00	398.90	100
43.	रीवा	पड़री चिरैया नाला से डोल पहुंच मार्ग	4.00	337.13	100
44.	भोपाल	रमपुरा खुर्द कढ़ैयाशाह से चाटाहेडी मार्ग	5.80	422.99	100
45.	खरगौन	कातौरा से बकावा मार्ग	5.40	425.47	100
46.	रीवा	मउगंज जेल पहुंच मार्ग	6.70	440.29	100
47.	रीवा	रजहा अकोरी महोरिया मार्ग	4.00	376.03	100
48.	सीहोर	मछवई से जैत मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण	3.00	454.76	100
49.	सागर	राख से वेसली मार्ग	4.00	455.10	100
50.	इंदौर	सिंकदरी से मोहम्मदपुर लोड़िया मार्ग	3.00	477.32	100
51.	सीहोर	जैत से नारायणपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण	3.50	528.01	100
52.	पन्ना	अमानगंज गुन्नौर मार्ग से झिरघाट व्हाया कटकाहा तुन्ना खिरवा मार्ग	8.70	621.03	100
53.	खरगौन	पिपरी से मछलगांव मार्ग	4.70	652.15	100
54.	होशंगाबाद	नयागांव धुरवाड़ा ढाबा खुर्द मार्ग	8.00	667.99	100
55.	खण्डवा	पांजरिया छेगांव मार्ग व्हाया गोलजोशी	8.50	670.50	100
56.	मंदसौर	भानपुरा बायपास मार्ग ( भानपुर शहर मुख्य मार्ग गांधीनगर चौराहा से झालावाड़ मार्ग )	5.50	752.18	100
57.	राजगढ़	चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कुरावर से कालापीपल मार्ग	4.00	884.40	100
58.	भोपाल	टीलाखेड़ी, नरेला, मुण्डला, नादनी, खारपा, खारपी, कोड़िया, रसुलियाघाट, कजलास से ईटखेड़ी मार्ग	16.60	980.46	100
59.	सीधी	सीधी शहर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 75 विस्तार कि.मी. 74 से कि.मी. 83/4 तक उन्नतीकरण	9.40	3669.00	100
60.	उज्जैन	झार्डा महिदपुर रोड़ व्हाया तारोट, काचरिया, कटारिया खेड़ा, बरखेड़ा खुर्द, सिपावरा, सगवाली, तरनोद, करनावद, कानाखेड़ी	25.45	1914.37	100
61.	देवास	उदयनगर ( सबलगढ़ फाटा ) से कनाड़ मार्ग ( निसिंग लिंक )	9.70	1087.23	100
62.	रतलाम	जावरा फाटक से सालाखेड़ी फोरलेन मार्ग	4.60	2601.25	100
63.	मंदसौर	असावती से हरिपुरा कुरावन अजयपुर मार्ग	12.70	1480.52	100

64.	आगर मालवातनोडिया से मदकोटा मार्ग	20.94	2454.61	100
65.	रीवा बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग का उन्नयन	17.80	2516.13	100
66.	सतना अमरपाटन रामपुर मार्ग	25.60	3582.00	100
67.	टीकमगढ़ पठा बुडेरा किशनपुरा मार्ग	11.00	1861.84	100
68.	खण्डवा हनुमंतिया से धारकवाड़ी गुलगांवरैयत जामकोटा बांगरदा मार्ग	16.20	1318.64	100
69.	इंदौर पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 59 इंदौर अहमदाबाद मार्ग	6.60	1263.00	100
70.	शाजापुर कालापीपल कुरावर मार्ग	25.40	4052.57	100
71.	राजगढ़ राजगढ़ बग्गा फत्तुखेड़ी बारोल मार्ग	20.50	1328.91	100
72.	रायसेन गुराडिया कुंजा संगम पांजरा पिपरिया मार्ग	12.66	1006.74	100
73.	होशंगाबाद बोरकुण्डा नन्दरवाड़ा सेमलवाड़ा आयपा मार्ग	19.00	1806.39	100
74.	भोपाल खजूरी ईटखेड़ी मुंगालिया से नीलबड़ मार्ग	13.50	2669.78	100
75.	उज्जैन खेमाना से कण्डारिया पारदीखेड़ी गिरोता मार्ग	9.40	1042.81	100
76.	शाजापुर बेरछा से सुदरसी मार्ग कि.मी. 1/2 से 13/8 चौड़ीकरण एवं उन्नयन	12.80	1858.83	100
77.	भिण्ड ज्वासा सुनारपुरा गरमी गोहद मार्ग	6.00	2372.91	100
78.	भिण्ड मेगवांग गोना हरदासपुरा मार्ग	16.00	2383.16	100
79.	गुना कोनियाकला से नेवली पहुंच मार्ग	5.10	448.74	100
80.	मुरैना रमपुरा से महेबा का पुरा मार्ग	4.40	461.41	100
81.	भिण्ड पावई से दीखतन का पुरा मार्ग	2.10	112.72	100
82.	मुरैना अम्बिकेश्वर सुमावली मार्ग से चोंचाई मार्ग	4.50	372.67	100
83.	मुरैना सरसेनी पहुंच मार्ग	3.10	280.09	100
84.	ग्वालियर ए.बी. रोड़ से गिरवई व्हाया तिल्ली फैक्ट्री मार्ग	1.70	195.67	100
85.	शिवपुरी सतेरिया से गरिमा पेट्रोल पंप ए.बी. मार्ग	4.00	242.18	100
86.	भोपाल भोपाल स्थित जेल रोड़ ( पुलिस कन्ट्रोल रुप से डी.बी. माल ) का चौड़ीकरण एवं उन्नयन	2.42	847.79	100
87.	भोपाल सिकंदराबाद मालीखेड़ी से मुंगालिया छाप सड़क का उन्नयन	5.10	267.98	100
88.	देवास उदयनगर से सिमरोल की मिसिंग लिंक ( नाचनबोर घाट सेक्शन का निर्माण	3.90	741.01	100
89.	देवास बागली भौरासा मार्ग के कि.मी. 28/8 से 29/10 आंतरिक मार्ग नेवरी ग्राम का उन्नयन कार्य	1.10	145.53	100
90.	गुना राधौगढ़ रामनगर सागर मार्ग कि.मी. 1 से 17/4 तक का उन्नयन	16.40	787.58	100
91.	सागर जेल रोड़ से दानखेड़ी पहुंच मार्ग	5.50	445.75	100
92.	सागर सिलोधा से जरवास मार्ग	5.60	448.39	100
93.	राजगढ़ सारंगपुर एन.एच. 3 से संडावता मार्ग	30.50	6399.73	100
94.	अनूपपुर अनूपपुर जैतहरी व्यंकटनगर मार्ग	40.60	5744.18	100
95.	मुरैना ए.बी.सी. केनाल मार्ग	68.80	9315.00	100
96.	मंदसौर जावरा से सीतामड मार्ग	56.60	8885.20	100
97.	रतलाम रतलाम मलवासा खाचरोद मार्ग	32.18	6437.04	100

योग 845.69 107585.11 9700

अतः नवीन कार्यों हेतु रुपये 9700 के प्रतीक तथा निर्माणाधीन कार्यों हेतु रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

ग्रामीण सड़कों का निर्माण योजना अंतर्गत निम्नांकित नवीन सड़क मार्ग अनुमानित लागत रुपये 3834.79 लाख में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक राशि की प्रतिपूर्ति पुर्नविनियोजन से की जायेगी। इसके इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन कार्यों में राशि रुपये 75.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (रु. लाख में)	अनुदान राशि (रुपयों में)
------	------	--------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------

1.	विदिशा	एन.एच. 86 धतुरिया हवेली से सौराई आमाछार चक ढोलखेड़ी एस.एच.19 तक रिग रोड़ मार्ग	7.00	2358.76	100
----	--------	--	------	---------	-----

2.	रतलाम	रतलाम सेलाना बासवाड़ा राज्यमार्ग क्रमांक 39 के सैलाना ग्राम में आंतरिक मार्ग का निर्माण	6.90	1476.03	100
----	-------	---	------	---------	-----

योग			13.90	3834.79	200
-----	--	--	-------	---------	-----

अतः नवीन कार्यों हेतु रुपये 200 के प्रतीक तथा निर्माणाधीन कार्यों हेतु रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से निम्नांकित 04 निर्माण कार्यों को किया जाना है जिसकी अनुमानित लागत रुपये 1625.61 लाख है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुर्नविनियोजन से की जायेगी। इसी प्रकार निर्माणाधीन कार्यों हेतु रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	लागत (रु. लाख में)	अनुदान राशि (रुपयों में)
------	------	--------------	--------------------	--------------------------

1.	रायसेन	रायसेन राहतगढ़ (एस.एच.-42) के कि.मी. 10/4 के कौला नाले पर पुल का निर्माण	461.30	100
----	--------	--	--------	-----

2.	मंदसौर	नीमच मनासा रामपुरा भनपुरा झालावाड़ के भानपुरा शहर में चैनेज 126-950 से चैनेज 128-860 (चंबल चौराहा सेनीमथूर गेट तक) फोरलेन सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण	838.57	100
----	--------	---	--------	-----

3.	सागर	सागर रहली मार्ग पर रहली नगरीय हिस्से में सी.सी. पेवमेंट कार्य (चैनेज 39-390 से 39-800 एवं 40-500 से 41-200)	152.88	100
----	------	---	--------	-----

4.	सतना	बेला गोविंदगढ़ चुरहट मार्ग (एस.एच.) के मुकुंदपुर से मोड़ सुधार हेतु सड़क निर्माण (चैनेज 10-400 से 10-900)	172.86	100
----	------	---	--------	-----

योग			1625.61	400
-----	--	--	---------	-----

अतः नवीन कार्यों हेतु रुपये 400 के प्रतीक तथा निर्माणाधीन कार्यों हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा नाबार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट एसिस्टेन्स अंतर्गत सड़क निर्माण के लिये ऋण प्राप्त कर निम्नांकित 22 नवीन निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अनुमानित लागत राशि रुपये 2044.73 करोड़ है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)	अनुदान राशि (रुपये में)
------	------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------------

1.	मुरैना	अम्बाह पिनहट मार्ग (मुख्य जिला मार्ग)	32.12	3485.00	100
----	--------	---------------------------------------	-------	---------	-----

2.	श्योंपुर	टेकना मानपुर रामेश्वर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग)	19.41	3036.80	100
----	----------	--	-------	---------	-----

3.	शिवपुरी	सतनवाड़ा नरवल मार्ग ( मुख्य जिला मार्ग )	25.54	4321.70	100
4.	जबलपुर	धनेटा राखी सहजपुर मार्ग ( मुख्य जिला मार्ग )	14.30	2492.70	100
5.	जबलपुर	पेलखेडू रूरोंद मार्ग ( मुख्य जिला मार्ग )	12.69	2703.70	100
6.	जबलपुर	सुरईया सिमरिया बाडियाखेड़ा पाडरिया धमनी सिंगारी मार्ग ( मुख्य जिला मार्ग )	13.22	1832.70	100
7.	भिण्ड	ज्वासा सुनारपुर मार्ग ( मुख्य जिला मार्ग )	22.63	1955.00	100
8.	भिण्ड	पावई पृथ्वी मार्ग ( मुख्य जिला मार्ग )	22.30	3403.00	100
9.	उज्जैन	आगर शहरी क्षेत्र में फोरलेन मार्ग निर्माण ( कि.मी. 118प्लास 600 टोल प्लाजा से 123 प्लास 100 जेल तक राज्य मार्ग )	4.50	2455.00	100
10.	भिण्ड	नदीगांव स्योडा मार्ग ( मुख्य जिला मार्ग )	22.41	4690.40	100
11.	भोपाल	भोपाल-बैरसिया-सिरोज ( राज्य मार्ग क्र. 23 ) विदिशा का निर्माण	106.32	28612.00	100
12.	बड़वानी	सेंधिया-खेतिया ( राज्य मार्ग क्रमांक 36 ) मार्ग	57.17	15242.00	100
13.	शाजापुर	सारंगपुर-आकोदिया-सुजालपुर ( राज्य मार्ग क्रमांक 41 ) मार्ग	38.46	10231.00	100
14.	जबलपुर	जबलपुर-पाटन-शाहपुर ( राज्य मार्ग क्रमांक 15 एवं 22 ) मार्ग	38.84	11472.00	100
15.	मुरैना	मुरैना-सबलगाढ़ ( राज्य मार्ग क्रमांक 41 ) मार्ग	71.86	14990.00	100
16.	सतना	सतना-चित्तकुट ( राज्य मार्ग क्रमांक 11 ) मार्ग	43.92	11114.00	100
17.	धार	नागदा-धार-गुजरी ( राज्य मार्ग क्रमांक 31 ) मार्ग	69.40	25528.00	100
18.	नीमच	नीमच-मनासा ( राज्य मार्ग क्रमांक 30 ) मार्ग	29.06	10452.00	100
19.	मंडला	मंडला-पिण्डरई ( मुख्य जिला मार्ग ) मार्ग	33.15	6487.00	100
20.	कटनीस्लीमनाबाद	कटनीस्लीमनाबाद-विलायतकला ( मुख्य जिला मार्ग )	73.18	19406.00	100
21.	उज्जैन	बउनगर-सुन्दराबाद-खास से दकला-उन्हेल ( मुख्य जिला मार्ग )	51.31	11965.30	100
22.	उज्जैन	सुन्दराबाद-रूनीजा-खाचरोद एवं रूनीजा-सतरूण्डा ( मुख्य जिला मार्ग )	43.79	8597.40	100

योग 1705.17 2044.73 2200

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

बी.ओ.टी. मार्गों का विकास एवं पर्यवेक्षण मद में राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26  
मुख्य शीर्ष 2205

### मद क्रमांक 1

रवीन्द्र भवन परिसर स्थित स्वराज्य पार्क की सफाई व्यवस्था हेतु राशि रुपये 2.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय हेतु राशि रुपये 7.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

भारत भवन प्रशासनिक व्यवस्था हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 4

रवीन्द्र भवन परिसर का उन्नयन हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

टैगोर कला संकुल खण्डवा का निर्माण हेतु राशि रुपये 2.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27

मुख्य शीर्ष 2202

### मद क्रमांक 1

लोक शिक्षण के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु राशि रुपये 143.50 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,43,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत निःशुल्क गणवेश प्रदाय हेतु राशि रुपये 3845.96 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,45,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था में उपकरणों के क्रय हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत राशि रुपये 1374.85 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,74,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

लोक शिक्षण के अंतर्गत रिपेयर, मेंटीनेंस एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन ऑफ मद्रसा हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत निर्धन विद्यार्थियों को छातवृत्तियों के प्रदाय हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत वर्तमान शालाओं को अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में उन्नयन योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ का

अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों हेतु छात्रावास सहित उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत उपकरणों के क्रय हेतु राशि रुपये रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत एंक्रेडेशन ऑफ स्कूल योजना के संचालन हेतु राशि रुपये 3.50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत जबलपुर में विस्थापित भवन निर्माण (पी.एस.एम. परिसर) हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 12

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत राशि रुपये 12533.58 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,25,33,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28

मुख्य शीर्ष 2011

### मद क्रमांक 1

विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 5

विधानसभा सचिवालय अंतर्गत वाहनों के प्रतिस्थापन, प्रशिक्षण, अभिभाषकों की फीस एवं परिवहन व्यवस्था के लिये राशि रुपये 95.35 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 95,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

संसदीय कार्य विभाग हेतु नवीन वाहन का क्रय किया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 7.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29

**मद क्रमांक 4****मद क्रमांक 1 - 7**

पंजीयक उच्च न्यायालय के अंतर्गत वेतन, वाहन भत्ता, अन्य भत्ते, ग्रेड पे हेतु राशि रुपये 583.001 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है, एवं संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु मद खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,83,00,100 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8 - 11,14**

न्यायालयों की सामान्य स्थापना में डाक एवं तार व्यय तथा कार्यालय उपकरणों, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगिया, अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 1848.753 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। इसके साथ संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु मद खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,48,75,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

केन्द्रीय जांच ब्यूरो हेतु गठित विशेष न्यायालय के लिये फर्नीचर का क्रय किया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 3.60 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

न्याय व्यवस्था में सुधार के लिये अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 20.17 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

म.प्र. महाधिवक्ता जबलपुर कार्यालय के उपयोगार्थ नवीन वाहन क्रय करने हेतु राशि रुपये 2.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

महाधिवक्ता कार्यालय के आटोमेशन हेतु कार्यालय व्यय, उपकरणों का क्रय के लिये राशि रुपये 1.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17**

बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के लिये आर्थिक सहायता हेतु सहायक अनुदान मद में राशि रुपये 5.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18**

परिवार न्यायालयों की स्थापना हेतु मजदूरी मद में राशि रुपये 3.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19 - 22**

संसद के लिये चुनाव कराने के प्रभार हेतु यात्रा भत्ता, डाक तार व्यय, दूरभाष व्यय एवं सामग्री की प्रतिपूर्ति मदों में राशि रुपये 31.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



**मद क्रमांक 23 - 24**

राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के प्रभार के लिये यात्रा भत्ता एवं सामग्री प्रतिपूर्ति एवं राशन का मूल्य/भोजन व्यय हेतु आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम राशि रुपये 17.85 लाख के समायोजन हेतु राशि की आवश्यकता है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 17,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 25**

अधिवक्ता कल्याण योजना के अंतर्गत सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 27****मद क्रमांक 26**

विधि विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत डाक एवं तार व्यय के लिये राशि रुपये 2.00 लाख एवं संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु मद खोला जाना है। राशि की व्यवस्था बजट की बचतों से पुनर्विनियोजित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 30

मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 1**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास मिशन हेतु राशि रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

**मद क्रमांक 2**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकास आयुक्त योजना अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं की अदायगियां हेतु राशि रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31

मुख्य शीर्ष 3454

**मद क्रमांक 1**

राज्य की सांख्यिकी अधोसंरचना को मजबूत करने के लिये राशि रुपये 10.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 8**

छठवीं आर्थिक गणना के कार्यालय व्यय हेतु राशि रुपये 4,37,47,800 का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,37,47,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32

मुख्य शीर्ष 2220

**मद क्रमांक 1**

निर्देशन और प्रशासन के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को वेतन मद में रुपये 71.00 की आवश्यकता है। इस हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33  
मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 1

आदिमजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 36  
मुख्य शीर्ष 2041

### मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट एथॉरिटी के मूलभूत अधोसंरचना एवं वेतन, कार्यालय तथा आवश्यक उपकरणों पर राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

संग्रह प्रभार स्मार्ट कार्ड योजना मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

परिवहन विभाग में कार्यालय सुविधाओं के विस्तार हेतु राशि रुपये 152.18 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,52,18,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4 - 5

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय एवं वाहन प्रतिस्थापन हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

### मद क्रमांक 6

परिवहन विभाग में वृहद निर्माण कार्य-उप वृहद निर्माण कार्य के लिये राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37  
मुख्य शीर्ष 3452

### मद क्रमांक 1

प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन आकर्षणों के स्थलों पर विकास कार्य-जनसुविधा, विद्युत, भूदृश्यीकरण, सौन्द्रीयकरण बेंचेस एवं डे-शेल्टर आदि हेतु (नवीन मद के रूप में शामिल करते हुये) राशि रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

प्रदेश में शहरी पर्यटन आकर्षणों के स्थलों पर विकास कार्य जन सुविधा विद्युत, भूदृश्यीकरण, सौन्द्रीयकरण बेंचेस एवं डे-शेल्टर आदि (नवीन मद के रूप में शामिल करते हुये) हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

प्रदेश को वायु सेवा से जोड़ने हेतु ( नीति 2014 ) के अंतर्गत राशि रुपये 899.99 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

पर्यटन नीति, भूमि नीलामी द्वारा प्रदेश हित में पर्यटन विकास की दृष्टि से निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिये पर्यटन सेक्टर एवं अन्य स्थानों को चिन्हित करने के लिये सलाहकार सेवाओं एवं रोड शो का आयोजन करने हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

पर्यटन विभाग के अंतर्गत अनुबंधानुसार संबंधित संस्थाओं को 14 प्रतिशत सेवा शुल्क सहित राशि के भुगतान हेतु राशि रुपये 30.33 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5452

### मद क्रमांक 6

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदेश में बुद्धिस्ट परिपथ के विकास हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत धार्मिक पर्यटन का विकास हेतु राशि रुपये 1799.99 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत जैन परिपथ का विकास हेतु राशि रुपये 199.99 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत हेरिटेज पर्यटन का विकास हेतु राशि रुपये 99.99 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ईको एवं एडवेंचर पर्यटन का विकास हेतु राशि रुपये 1299.99 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत विद्यमान पर्यटक सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन हेतु राशि रुपये 1249.99 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,49,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत पहुँच मार्ग एवं आंतरिक मार्गों का उन्नयन हेतु राशि रुपये 99.99 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शहरों में साईनेजेस हेतु राशि रुपये 99.99 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत मेला एवं उत्सव हेतु राशि रुपये 149.99 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,49,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	38
मुख्य शीर्ष	2210

### मद क्रमांक 1

स्व. पं. उद्ववदास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान पुरस्कार हेतु राशि रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 9

आयुष विभाग के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, फर्नीचर, पुस्तक, परिवहन व्यवस्था, औषधि क्रय, प्रचार प्रसार, औषधि नमूनों का परीक्षण, मशीन एवं संयंत्र हेतु रुपये 1013.81 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,13,81,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4210
-------------	------

### मद क्रमांक 10

आयुष विभाग के अंतर्गत संचालनालय के अधीन संचालित जिला कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

आयुष विभाग के अंतर्गत औषधालयों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 56.73 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 56,73,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

आयुष विभाग के अंतर्गत औषधालयों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 1470.33 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,70,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

आयुष विभाग के अंतर्गत संचालनालय के अधीन संचालित अधूरे एवं नवीन औषधालयों एवं चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 235.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	39
मुख्य शीर्ष	2408

### मद क्रमांक 1

खाद्य विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता प्रकोष्ठ हेतु कार्यालय फर्नीचर मद में राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

खाद्य विभाग के अंतर्गत म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 10000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 3

खाद्य विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 10000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 4

खाद्य विभाग के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन की कम्प्यूटराइजेशन परियोजना हेतु राशि रुपये 95.65 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 95,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 5

खाद्य विभाग के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का सुदृढीकरण योजना अंतर्गत दुकानों पर पक्के फर्श एवं शेड की स्थापना हेतु राशि रुपये 999.99 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 6

खाद्य विभाग के अंतर्गत शासकीय शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का सुदृढीकरण योजना अंतर्गत दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल काटा की व्यवस्था हेतु राशि रुपये 1499.99 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

## मद क्रमांक 7

खाद्य विभाग के अंतर्गत संभागीय कार्यालय की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 6.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6408

## मद क्रमांक 8

खाद्य विभाग के अंतर्गत गोदामों का निर्माण योजना हेतु राशि रुपये 1962.27 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,62,27,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2203

## मद क्रमांक 1 - 2

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में गत वर्ष की व्यपगत राशि रुपये 0.45 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 0.15 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 0.60 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 4**

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के उन्नयन हेतु शासकीय कलानिकेतन पोलीटेकनिक महाविद्यालय, जबलपुर को रुपये 10.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 की व्यपगत राशि रुपये 25.76 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। राशि फर्नीचर, आधुनिक मशीन एवं संयंत्र एवं ई-लर्निंग पर व्यय की जाना है, तथा प्रदेश में कम्प्युनिटी डेवलपमेंट श्रो पोलीटेकनिक योजना के तहत युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से प्राप्त पूर्व वर्ष की व्यपगत राशि तथा वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि रुपये 18.87 लाख की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 55.13 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,13,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रुपये 24.08 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 8.03 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 32.11 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,11,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 6**

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को टन्ट्या भील स्वरोजगार योजना अंतर्गत अपना उद्योग अथवा व्यवसाय स्थापित कराये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 7000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत वन बन्धु कल्याण योजना की स्वीकृति प्रदान की है। योजना अंतर्गत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष एक आदिवासी विकास खण्ड चयनित कर समग्र आदिवासी विकास के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के मानको के अनुसार किया जायेगा। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्कूली छात्र-छात्राओं को लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से स्थाई जाति प्रमाण पत्र तैयार करने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 504.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,04,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि एवं गत वर्ष की अव्ययित राशि को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओ, माडा पाकेट, कलस्टर में विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 7431.01 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 74,31,01,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों की विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 की व्यपगत राशि के लिये रुपये 81.02 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 81,02,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

प्रदेश के अनुसूचित जाति / जनजाति वर्गों के उत्पीड़न के प्रकरण में राहत राशि दिये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग / राज्य

मानव अधिकार आयोग के निर्देशानुसार पीड़ित पक्ष या मृतक के निकट आश्रितों को मुआवजा राशि दिये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं द्वारा अखिल भारतीय सिविल सेवा / म. प्र. लोक सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13 - 38

आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास योजना को केन्द्र क्षेत्रीय योजना में प्रवर्तित कर भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में रुपये 157.50 लाख की राशि प्रथम किस्त के रूप में निर्गमित की गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 157.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,57,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 39 - 41

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार सहायित केन्द्र क्षेत्रीय योजना है। योजना अंतर्गत बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकना और उसमें वृद्धि करना, महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें सम्मान दिलाने और अवसरों में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय अभियान के रूप में चयनित जिलों में संचालित किया जायेगा। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 21.27 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,27,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 42

सर्व शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत गत वर्ष में स्वीकृत शालाओं के शौचालय निर्माण एवं मरम्मत हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 65 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 35 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 364.71 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,64,71,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

### मद क्रमांक 43

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों की विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण योजना में पूंजीगत मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 की व्यपगत राशि के लिये रुपये 100.28 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,28,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

### मद क्रमांक 44

आदिवासी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण लागत रुपये 7.80 लाख प्रति भवन (हेंडपंप, बाउंड्रीवाल एवं पेविंगब्लाक सहित) के मान से कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1746.40 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,46,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4250

**मद क्रमांक 45**

नाबार्ड के ऋण से निर्मित की जाने वाली आई.टी.आई. के भवनों के निर्माण हेतु राशि रुपये 233.48 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 233.48 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,33,48,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

**मद क्रमांक 46**

नर्मदा की सहायक नदी हथिनी पर ग्राम वास्केल तहसील जोबट जिला अलीराजपुर में निर्मित जोबट परियोजना से अलीराजपुर जिले के अलीराजपुर तहसील के 22 ग्रामों में 10000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किये जाने हेतु जोबट विस्तार (माईक्रो इरीगेशन) परियोजना लागत रुपये 156.58 करोड़ से प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 5000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 47**

सरदार सरोवर बांध के बेक वाटर जो नर्मदा की सहायक नदी हथिनी पर प्राप्त होने के कारण अलीराजपुर तहसील एवं जिले के लगभग 35000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 240 मीटर उद्वहन कर 10 क्यूमेक्स जल पाइप लाइन के द्वारा ड्रिप एवं स्प्रीकलर से सिंचाई हेतु अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत रुपये 582.80 करोड़ से प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 15000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

**मद क्रमांक 48**

पारेषण प्रणाली के उन्नयन एवं सुदृढीकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिये धनवेष्टन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 10335.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,03,35,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 49**

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में धनवेष्टन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 6020.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

**मद क्रमांक 50**

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में ऋण तथा अग्रिम हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 14047.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,40,47,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 51**

कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था हेतु विद्युत वितरण कंपनी को धनवेष्टन हेतु ए. डी. बी. सहायित फीडर विभक्तिकरण योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में प्रावधानित राशि से रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



**मद क्रमांक 52**

33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिये एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण सहायित उपपारेषण एवं वितरण नवीनीकरण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में प्रावधानित राशि से रुपये 2400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42  
मुख्य शीर्ष 5054

**मद क्रमांक 1**

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर पुलों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत
1.	उज्जैन	सिपावरा से सगवाली मार्ग पर क्षिप्रा नदी पर उच्चस्तरीय पुल		704.09
2.	खरगोन	ग्राम खेड़ी के पास (बाजीराव पेशवा समाधि स्थल) हेतु रावेरखेड़ी मार्ग पर खरकल नदी पर उच्चस्तरीय पुल		338.51
3.	सीधी	गोतरा से निवास मार्ग में गोपद नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुंच मार्ग		840.35
4.	बड़वानी	राजपुर तहसील के ग्राम सुराना के पास राजपुर मण्डवाना मार्ग पर कुण्डी नदी पर जलमगनीय पुल		199.10
5.	शहडोल	ब्हौहरी बलसुकली सीधी जनकपुर मार्ग के कि.मी. 35/8 में ओदारी नदी पर उच्चस्तरीय पुल		297.88
6.	शहडोल	श्यामडील कनवाही मार्ग के कि.मी. 3/2 में सोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग		462.30
7.	खरगोन	ग्राम अमलाथा गंगवाड़ा मार्ग पर स्थित खोलार नदी पर जलमगनीय पुल		219.58
8.	शहडोल	बिजहा नगनौड़ी मार्ग के कि.मी. 6/10 में नगनौड़ी गिरई बड़ी आमडीह के मध्य अरई नाला पर उच्चस्तरीय पुल		138.79
9.	सिंगरौली	झुरई सरई मार्ग के कि.मी. 14/6 में महान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग		296.90
10.	डिण्डोरी	राई से मालपुर डोगरिया के बीच नर्मदा नदी पर जलमगनीय पुल		617.59
11.	बालाघाट	टूटे पुल के स्थान पर नवीन जलमगनीय पुल (जामुनटोला चाकाहेटी मार्ग में डोरिया नाले पर)		635.98
12.	खरगोन	महेश्वर तहसील के ग्राम मातमूर से माताण्डा मार्ग पर खराडी नदी पर उच्चस्तरीय पुल		306.03
13.	बैतूल	सारणी लोनिया मार्ग पर राजडोह घाट तवा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग		963.38

उपरोक्त कार्यों पर रुपये 6020.48 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत
1.	बैतूल	सूमरिया जोशी से सोनतलाई मार्ग	2.40	169.21
2.	बैतूल	बिरुलबाजार से मीरापुर मार्ग	7.00	464.59
3.	सिवनी	गुरापाठा से सर्रा मार्ग	2.15	135.20
4.	मण्डला	मोहगांव पहुँच मार्ग	2.70	206.31
5.	शहडोल	बुढार से जैतपुर मार्ग	3.00	248.06
6.	खण्डवा	गोवरिया संगवारा से इच्छापुर हाईवे मार्ग	7.20	480.60
7.	धार	संदला से तिलगारा मार्ग	1.87	146.02

8.	झाबुआ	मोगनकोट से मोरझरिया व्हाया सेमलकुण्डिया मार्ग	6.20	454.56
9.	खण्डवा	नेतनगांव से नरलाय मार्ग	2.00	108.79
10.	रीवा	बोदा मनकहरी मझियार मार्ग	4.10	124.26
11.	बालाघाट	विश्रामपुर घेड़गटोला नेवरगांव मार्ग	3.20	113.32
12.	रतलाम	शैलाना शिवगढ़ रावटी रानीसिंह मार्ग	25.00	5500.00

उपरोक्त कार्यों पर रुपये 8150.92 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 43  
मुख्य शीर्ष 2204

### मद क्रमांक 1

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत संभागीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु राशि रुपये 9.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

महिला खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत संभागीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु राशि रुपये 15.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3 - 5

खेल अकादमी की स्थापना अंतर्गत संचालित विभिन्न खेल अकादमियों की स्थापना हेतु खिलाड़ियों को खेल सामग्री एवं अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं को प्रदाय करने हेतु राशि रुपये 10.76 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,76,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों को खेल उपकरण प्रदाय करने हेतु राशि रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

विभाग अंतर्गत संचालित माँ तुझे प्रणाम योजना अंतर्गत युवक-युवतियों को देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के भ्रमण पर भेजे जाने हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर के खिलाड़ियों को खेल उपकरण के प्रदाय हेतु राशि रुपये 22.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44  
मुख्य शीर्ष 2202

### मद क्रमांक 1

महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वद्यालय उज्जैन के लिये वेतन भत्तों एवं कार्यालय व्यय की पूर्ति हेतु राशि रुपये 100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ के यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर्स की द्वितीय किश्त भुगतान करने हेतु राशि रुपये 160.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

## मद क्रमांक 3

पांच शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 300.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6202

## मद क्रमांक 4

अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षको/कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान करने हेतु राशि रुपये 1080.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45

मुख्य शीर्ष 4702

## मद क्रमांक 1

लघु सिंचाई योजनाओं के सुधार, सुदृढीकरण एवं पुनर्संरचना के निर्माणाधीन कार्यों में कुल रुपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

ए.आई.बी.पी. योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के लिये राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 46

मुख्य शीर्ष 3425

## मद क्रमांक 1

आधार पंजीयन करने वाले जिलों को उत्कृष्टता के आधार पर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार राशि वितरित करने हेतु रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान अंतर्गत स्टेट डाटा सेंटर के लिये प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि रुपये 350.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47

मुख्य शीर्ष 2203

## मद क्रमांक 1

प्रदेश की पांच अनुदान प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के अमले के लिये वेतन भत्तों के एरियर्स के भुगतान हेतु राशि रुपये 750.00 लाख एवं पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के शिक्षकों को ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान के एरियर्स राशि की तृतीय किश्त हेतु राशि रुपये 193.00 लाख इस प्रकार

कुल राशि रुपये 943.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,43,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 2 - 3,5

प्रदेश के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के उन्नयन के लिये भारत सरकार से प्राप्त सहायता में से शेष राशि रुपये 242.45 लाख एवं शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय जबलपुर के लिये प्राप्त सहायता राशि रुपये 108.50 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 350.95 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

प्रदेश के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के लिये भारत सरकार की कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलीटेकनिक योजना के लिये प्राप्त सहायता राशि रुपये 6.20 लाख, रुपये 32.55 लाख एवं रुपये 44.55 लाख तथा 13 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के लिये प्राप्त राशि रुपये 80.60 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 163.90 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,63,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

#### मद क्रमांक 6

कौशल विकास संचालनालय हेतु दूरभाष अंतर्गत राशि रुपये 1.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 7

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें अंतर्गत याता भत्ते हेतु राशि रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 8

भारत सरकार की योजना अन्तर्गत (70-30) भोपाल स्थित 03 आई.टी.आई. संस्थाओं को मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन करने हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 9 - 10

कौशल विकास के तहत विश्व बैंक की सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्लूमेंट प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग की स्थापना अंतर्गत केन्द्रीय योजना में (75-25) उपकरण क्रय हेतु रुपये 44.90 लाख एवं वृहद निर्माण कार्य हेतु रुपये 149.00 लाख कुल राशि रुपये 193.90 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,93,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 11

कौशल विकास के तहत विश्व बैंक की सहायता से संचालित व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्लूमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आई.टी.आई. में उपकरण क्रय करने के लिये प्राप्त केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत राशि रुपये 360.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

#### मद क्रमांक 12

प्रदेश के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के मुख्य भवन निर्माण एवं छात्रावास निर्माण के लिये भारत सरकार से वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के लिये उपलब्ध कराई गई राशि में समर्पित राशि रुपये 400.00 लाख एवं राशि रुपये 359.58 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 759.58 लाख का

प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,59,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

नाबार्ड के ऋण से निर्मित की जाने वाली आई.टी.आई. संस्थाओं के लिये राशि रुपये 5000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	48
मुख्य शीर्ष	4801

### मद क्रमांक 1

प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों के पेंशन अंशदान एवं अवकाश वेतन अंशदान की राशि मद में रुपये 40.00 लाख का व्यय आवश्यक है। जिसकी पूर्ति पुर्नविनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	50
मुख्य शीर्ष	2401

### मद क्रमांक 2

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत पौधशाला व उद्यान हेतु राशि रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 1

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत पौधशाला व उद्यान हेतु राशि रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत फसल बीमा योजना हेतु राशि रुपये 2619.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना हेतु राशि रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय स्थाई कृषि मिशन हेतु राशि रुपये 2291.89 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,91,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन हेतु राशि रुपये 1823.80 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,23,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	51
मुख्य शीर्ष	2250

**मद क्रमांक 1**

धर्मस्व विभाग के अंतर्गत अंगकोरवाट एवं सीतामैया श्रीलंका की यात्रा हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

तीर्थ यात्रा के लिये राजसहायता योजना के अंतर्गत राशि रुपये 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	52
मुख्य शीर्ष	2216

**मद क्रमांक 1**

मुख्यमंती आवास मिशन हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 2800.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	3604
-------------	------

**मद क्रमांक 2**

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्य करो में हिस्सा) हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 3000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	53
मुख्य शीर्ष	2217

**मद क्रमांक 1**

सिंहस्थ मेले की व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये अनुसूचित जाति उपयोजन अंतर्गत राशि रुपये 25.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	54
मुख्य शीर्ष	2415

**मद क्रमांक 1**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को स्ववित्तीय पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	55
-------------	----

**मद क्रमांक 1 - 16**

महिला सशक्तिकरण संचालनालय की स्थापना योजना अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ग्रेड पे, यात्रा भत्ता, डाक तार, कार्यालय फर्नीचर क्रय, बुक्स एवं नियतकालिक पत्रिकायें, बिजली एवं पानी, स्टेशनरी एवं फार्म, अन्य कंटीजेसी, किराया एवं स्थानीय कर हेतु मद खोले जाना है तथा क्षतिपूर्ति मद में रुपये 1.00 लाख का व्यय होना संभावित है। मदों को खोलने के लिये वर्ष के दौरान इन मदों में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 1500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17**

महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय अंतर्गत क्षतिपूर्ति मद स्थापित करते हुये उसमें राशि रुपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18 - 20**

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना अंतर्गत प्रशिक्षण, अन्य प्रभार मदों में कुल राशि रुपये 63.88 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 63,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

**मद क्रमांक 21**

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण अंतर्गत राशि रुपये 5239.20 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 52,39,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56

मुख्य शीर्ष 2851

**मद क्रमांक 1**

आयुक्त, हाथकरघा संचालनालय भोपाल के अंतर्गत औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना अंतर्गत चंदेरी परियोजना हेतु सहायता योजना (राज्यांश) हेतु रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

आयुक्त, हाथकरघा संचालनालय भोपाल के अंतर्गत प्रदर्शनी प्रचार-प्रसार योजना हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 5**

आयुक्त, रेशम संचालनालय भोपाल के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना हेतु राशि रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

आयुक्त रेशम संचालनालय भोपाल के अंतर्गत एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम योजना हेतु राशि रुपये 253.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,53,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 57

मुख्य शीर्ष 4700

**मद क्रमांक 1 - 2**

मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु रुपये 48.82 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस हेतु रुपये 30.00 करोड़ का आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 48,82,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 8**

मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना अंतर्गत वेतन, भत्ते आदि में रुपये 118.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	60
मुख्य शीर्ष	4515

**मद क्रमांक 1**

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय पर नवाचार को प्रोत्साहन हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	61
मुख्य शीर्ष	2403

**मद क्रमांक 1**

पशु आहार संयंत्र की स्थापना मद में राशि रुपये 8.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	63
मुख्य शीर्ष	2225

**मद क्रमांक 1**

पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत परिवहन व्यवस्था हेतु राशि रुपये 3.66 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 3**

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत वक्फ न्यायाधिकरण का गठन हेतु राशि रुपये 2.01 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,01,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	64
मुख्य शीर्ष	2055

**मद क्रमांक 1 - 3**

अनुसूचित जाति कल्याण विशेष पुलिस थानो व रेंज पुलिस अधीक्षक (अजाक) जोन कार्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु थानो के लिये फर्नीचर, कार्यालय उपकरण तथा वाहनो के क्रय हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस हेतु राशि निर्गमित की गई है। वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 586.70 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,86,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2202
-------------	------



**मद क्रमांक 4**

सर्व शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत गत वर्ष में स्वीकृत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित प्राथमरी शालाओं एवं मिडिल शालाओ हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 65 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 35 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 12893.05 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,28,93,05,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

**मद क्रमांक 5**

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति उपयोजना में गत वर्ष की व्यपगत राशि रुपये 1.23 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 0.41 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 1.64 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,64,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6 - 8**

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के उन्नयन हेतु शासकीय कलानिकेतन पोलीटेकनिक महाविद्यालय, जबलपुर को रुपये 21.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 की व्यपगत राशि रुपये 715.29 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। राशि फर्नीचर, आधुनिक मशीन एवं संयंत्र एवं ई-लर्निंग पर व्यय की जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 736.29 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,36,29,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 48.15 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 16.05 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 64.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 64,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 10**

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली, राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त एवं विकास निगम एवं राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की देय बकाया राशि का भुगतान किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 11313.41 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,13,13,41,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

प्रदेश के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के स्थाई जाति प्रमाण पत्र तैयार करने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित किए ग्रामों हेतु प्रथम किस्त की राशि रुपये 770.00 लाख निर्गमित की है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में केन्द्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 770.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,70,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13 - 15**

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार सहायित केन्द्र क्षेत्रीय योजना है। योजना अंतर्गत बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकना और उसमें वृद्धि करना, महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें सम्मान दिलाने और अवसरों में वृद्धि करने राष्ट्रीय अभियान के रूप में चयनित जिलों में संचालित किया जायेगा। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 16.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत सिपडा कार्यक्रम के तहत निःशक्त जनो के लिये बाधारहित वातावरण, लिफ्ट, रेम्प, टॉयलेट आदि की गत वर्ष की अव्ययित राशि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 39,84,000/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,84,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 17**

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन हेतु वर्ष 2014-15 में रुपये 79.24 लाख की राशि निगमित की गई है। गत वर्ष की अव्ययित राशि हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 79.24 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 79,24,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

**मद क्रमांक 18**

अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत मछुआ हितग्राहियों को आवास गृहों का निर्माण, नलकूप खनन, एवं सामुदायिक भवन निर्माण की दरे संशोधित की है। मछुआरों को राष्ट्रीय कल्याण निधि अन्तर्गत आवास गृहों का निर्माण के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राशि रुपये 30.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

**मद क्रमांक 19**

सर्व शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत गत वर्ष में स्वीकृत शालाओ के शौचालय निर्माण एवं मरम्मत हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 65 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 35 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 430.05 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,30,05,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

**मद क्रमांक 20**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण लागत रुपये 7.80 लाख प्रति भवन (हेंडपंप, बाउंड्रीवाल एवं पेविंगब्लाक सहित) के मान से कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1330.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,30,60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

**मद क्रमांक 21**

पारेषण प्रणाली के उन्नयन एवं सुदृढीकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिये धनवेष्टन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 8248.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 82,48,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 22

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में धनवेष्टन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 10101.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,01,01,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

### मद क्रमांक 23

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में ऋण तथा अग्रिम हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 23568.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,35,68,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 24

33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिये एशियन विकास बैंक (एडीबी) से ऋण सहायित उपपारेषण एवं वितरण नवीनीकरण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में प्रावधानित राशि से रुपये 1760.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 65

मुख्य शीर्ष 2052

### मद क्रमांक 1

दो वाहनों के क्रय हेतु राशि रुपये 14.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66

मुख्य शीर्ष 4225

### मद क्रमांक 1

पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक अंतर्गत जिला स्तरीय बालक छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 367.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,67,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6225

### मद क्रमांक 2

पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को ऋण हेतु राशि रुपये 711.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 2059

### मद क्रमांक 1

कोषालय भवन के नवीनीकरण एवं अनुरक्षण हेतु रुपये 40.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

**मद क्रमांक 2**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना हेतु राशि रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पी.एम.एस.एस.वाय. परियोजना अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना (ग्वालियर, जबलपुर, रीवा) हेतु राशि रुपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्माण हेतु राशि रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4216

**मद क्रमांक 5**

शासकीय आवासीय भवनों के लघुमूल प्रकृति के निर्माण कार्यों हेतु रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4853

**मद क्रमांक 6**

खनिज विभाग के भवनों के निर्माण कार्य अंतर्गत राशि रुपये 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 71

मुख्य शीर्ष 2217

**मद क्रमांक 1 - 3**

सिंहस्थ मेले की व्यवस्था अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु भूमि व्यय, भवनों के क्रय/अधिग्रहण, मशीने उपकरण हेतु राशि रुपये 442.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,42,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

**मद क्रमांक 4**

सिंहस्थ मेले की व्यवस्था अंतर्गत वृहद् निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 61.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 61,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

**मद क्रमांक 5**

सिंहस्थ मेले की व्यवस्था अंतर्गत बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय हेतु राशि रुपये 70.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72  
मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1**

गैस राहत विभाग के अंतर्गत कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल के लिये एन.आई.सी. द्वारा कम्प्यूटराईजेशन कार्य, सी.टी. स्केन मशीन का ट्यूब, सेन्ट्रल आक्सीजन प्लांट के वार्षिक रख-रखाव हेतु राशि रुपये 55.45 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

गैस राहत विभाग के अंतर्गत एम.एल.एस. चिकित्सालय के अन्य भत्ते, सफाई, सुरक्षा व्यवस्था हेतु राशि रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

गैस राहत विभाग अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी प्रदाय हेतु राशि रुपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 - 5**

गैस राहत विभाग के अंतर्गत एस.ए.के. चिकित्सालय गैस राहत की सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु राशि रुपये 24.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

गैस राहत विभाग के अंतर्गत पी.एम.सी. चिकित्सालय गैस राहत परामर्श सेवायें हेतु राशि रुपये 54.23 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 54,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73  
मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1 - 3**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता एवं छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 87.17 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 87,17,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 - 10**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 24.20 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्दी हेतु राशि रुपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

### मद क्रमांक 13

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत भोपाल में निर्माणाधीन एम्स के पारेषण प्रणाली के लिये राशि रुपये 400.77 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,77,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14

चिकित्सा शिक्षा विभाग में पी.जी. पाठ्यक्रमों का सुदृढीकरण अंतर्गत मशीने एवं संयंत्र हेतु राशि रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74

मुख्य शीर्ष 2501

### मद क्रमांक 1

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना हेतु राशि रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

### मद क्रमांक 2

पंचायत विभाग के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु राशि रुपये 700.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

पंचायत विभाग के अंतर्गत त्रिस्तरीय पुरस्कार हेतु राशि रुपये 1802.75 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,02,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत दुग्ध प्रदाय की नवीन योजना हेतु राशि रुपये 14975.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,49,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2702

### मद क्रमांक 5

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के अंतर्गत प्रायवेट ऐजेंसियों, ठेकेदार द्वारा कृषकों के खेतों पर सफल नलकूप खनन पर सहायता योजना अंतर्गत राशि रुपये 1.08 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,08,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

### मद क्रमांक 6

पंचायत विभाग के अंतर्गत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के विरुद्ध अनुदान हेतु राशि रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

पंचायत विभाग के अंतर्गत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के विरुद्ध अनुदान हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

पंचायत विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु राशि रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75  
मुख्य शीर्ष 2217

### मद क्रमांक 1-3

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत (191) में राशि रुपये 12265.80 लाख, (192) में रुपये 7438.66 लाख एवं (193) में रुपये 5135.04 लाख कुल राशि रुपये 24839.50 लाख का व्यय नवीन मद के रूप में किया जाना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,48,39,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

सेप्टिक टैंक, सफाई दुर्घटना में मृत सफाई कर्मियों के परिवार को अनुदान हेतु राशि रुपये 40.00 लाख का व्यय नवीन मद के रूप में किया जाना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

हाऊसिंग फॉर ऑल योजना अंतर्गत अनुदान हेतु नवीन मद खोलते हुये रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की प्रतिपूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

### मद क्रमांक 6-8

प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण अंतर्गत (191) में राशि रुपये 12488.29 लाख, (192) में रुपये 8534.83 लाख एवं (193) में रुपये 2579.15 लाख कुल राशि रुपये 23602.27 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,36,02,27,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

### मद क्रमांक 9

भू-अर्जन हेतु मुआवजा हेतु आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 44.86 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 44,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77  
मुख्य शीर्ष 2202

### मद क्रमांक 1

लोक शिक्षण के अंतर्गत सैनिक स्कूल रीवा में अध्ययनरत छात्रों के पोषण आहार हेतु राशि रुपये 40.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

लोक शिक्षण के अंतर्गत जिला शिक्षा स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों को प्रबंधन सहायता हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 3

लोक शिक्षण अंतर्गत मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 4

लोक शिक्षण के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालयों को अनुदान हेतु राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 5

लोक शिक्षण के अंतर्गत कार्यालय व्यय हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 6

लोक शिक्षण के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों को अनुदान हेतु राशि रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

## मद क्रमांक 7 - 10

लोक शिक्षण अंतर्गत शासकीय आवासीय खेलकूद छातावास के संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं के लिये विभिन्न मदों में कुल राशि रुपये 400 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।